समाचार

अनियमित विकास का नियमितीकरण

निगम ने आज पुनः की दुकानों के सीलिंग की कार्यवाही

(कोरबा जोनांतर्गत 09 दुकानें हुई सील, सभी जोन में लगातार हो रहा सर्वे, दी जा रही नोटिस, समयसीमा के बाद हो रही सीलिंग की कार्यवाही)

कोरबा 16 फरवरी 2023 – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम के अधिकारियों द्वारा सभी 08 जोन में अनियमित विकास के नियमितीकरण के संबंध में सर्वेक्षण एवं संबंधितों को नोटिस देने की कार्यवाही आज भी जारी रही, वहीं समयसीमा व्यतीत हो जाने के पश्चात दुकान, मकान की सीलिंग की कार्यवाही भी की गई तथा कोरबा जोनांतर्गत 09 दुकानें सील की गई। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने पुनः अपील करते हुए कहा है कि अनियमित विकास व निर्माण के नियमितीकरण हेतु शीघ्र अपने आवेदन निगम में प्रस्तुत करें तथा कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।

अनियमित रूप से विकास व निर्माण करने वालों को एक अच्छा विकल्प देने के लिए शासन द्वारा अनियमित विकास की नियमितीकरण की योजना लागू की गई है, नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा इस दिशा में धरातलीय स्तर पर ठोस कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के मार्गदर्शन में निगम के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सभी 08 जोन में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, अनियमित निर्माण करने वालों को नोटिस दी जा रही है कि वे नियमितीकरण हेतु तत्काल आवेदन दें तथा नियमितीकरण कराएं, यदि निर्धारित समयसीमा में उनके द्वारा आवेदन नहीं दिए जाते तो दुकान, मकान आदि को सील करने की कार्यवाही निगम द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में आज निगम के कोरबा जोनांतर्गत 09 दुकानों पर सीलिंग की कार्यवाही की गई जबकि इसके पूर्व 18 दुकानों, प्रतिष्ठानों को सील किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार शारदा विहार में निगम अमले ने 08 दुकानों को सील किया, वहीं पावर हाउस रोड में 01 दुकान सील किया गया।

घर–घर दस्तक दे रहे अधिकारी – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय के मार्गदर्शन में निगम के अधिकारी कर्मचारी एक विशेष अभियान के रूप में अनियमित विकास के नियमितीकरण की दिशा में ठोस कार्यवाही कर रहे हैं, घर–घर दस्तक दी जा रही है तथा जिन लोगों द्वारा अनियमित रूप से निर्माण किया गया है, उनके निर्माण का सर्वे कर उन्हें नोटिस दी जा रही है, उन्हें नियमितीकरण हेतु तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने को

कहा जा रहा है। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद भी जिनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जा रहे उनकी दुकान, मकान आदि को सील किया जा रहा है।

<u>नियमितीकरण हेतु जल्द दें आवेदन</u> – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने निगम क्षेत्रांतर्गत ऐसे सभी अनियमित निर्माण करने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अनियमित निर्माण का नियमितीकरण कराना आवश्यक है, नियमितीकरण कराने से उनका निर्माण नियमित व वैध हो जाता है तथा नियमितीकरण के अनेक फायदें प्राप्त होते हैं, अतः नियमितीकरण हेतु वे तत्काल अपने आवेदन निगम को प्रस्तुत करें तथा शासन द्वारा उनके हित में क्रियान्वित की गई नियमितीकरण की इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होने कहा है कि निगम द्वारा इस दिशा में लगातार कार्यवाही की जाएगी, अतः नियमितीकरण कराकर वे कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।